ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-05/2025- 2197/वि०स०, पटना, दिनांक- 19.05.25ई०।

प्रिय ....

सप्तदश बिहार विधान सभा का चतुर्दश सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 28 फरवरी, 2025 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 27 मार्च, 2025 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । चतुर्दश सत्र में कार्यक्रमानुसार कुल अठारह बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए उल्लेख किया गया कि एक माह तक चलने वाला यह सत्र बिहार के आर्थिक, सामाजिक और विकास संबंधी नीतियों के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण मंच होगा । हमारी जिम्मेदारी है कि इस सत्र को सार्थक और उपयोगी बनाएं, ताकि प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके । यह सत्र मुख्य रूप से बजट प्रस्तावों, राज्य की वित्तीय स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं विकास संबंधी अन्य विषयों पर केंद्रित रहेगा । विधान सभा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, जहां जनहित से जुड़े विषयों पर गहन विचार-विमर्श होता हे । मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि सदन की मर्यादा और गरिमा को बनाये रखें । स्वस्थ बहस और तर्क-वितर्क लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन यह आवश्यक है कि चर्चा मर्यादित और परिणामपरक हो । मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूँ कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार सदन में रखें ताकि जनहित में ठोस निर्णय लिए जा सकें । साथ ही मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे सदन में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखें । किसी भी मुद्दे पर असहमति को तर्कसंगत और मर्यादित भाषा में प्रस्तुत किया जाए, जिससे सदन की गरिमा बनी रहे ।

माननीय सदस्यगण, पिछले दिनों बिहार में विधायी निकायों का सबसे बड़ा सम्मेलन यहाँ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । आप सबकी सहभागिता ने इसे ऊंचाई प्रदान की । संवैधानिक मूल्यों और उन्हें आम जन तक पहुँचाने में विधान सभा की भूमिका पर विमर्श हुआ । विधायी संस्थाओं में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर सर्वसम्मति बनी । राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों की संसदीय प्रक्रियाओं को साझा किया । परिणाम काफी पॉजिटिव रहा ।

मैं माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग से यह आयोजन बिना किसी बाधा के पूर्ण हुआ । बिहार की छवि पूरे देश में निखरी है । मुझे देश के विभिन्न राज्यों से पत्र आ रहे हैं । सभी बिहार की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे है । मैं इस सदन में मौजूद राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सात नए माननीय मंत्रिगण का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और आशा करता हूँ कि अपनी नई भूमिका में वे सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र संचालन में मुझे आप सबका भरपूर सहयोग मिलेगा ।

माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानि 11.30 बजे विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की एक साथ समवेत बैठक में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा । माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा । माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर जायेंगे । इस बीच आप सभी

माननीय सदस्य तुरंत चलकर सेंट्रल हॉल में अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे । माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात पुन: इस सभा वेश्म में आज के निर्धारित शेष कार्य होगें ।

माननीय सदस्यगण, अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद, सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना-अपना स्थान पुन: ग्रहण कर लेंगे ।

राज्यपाल का अभिभाषण

वर्ष 2025 के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसरण में बिहार के माननीय राज्यपाल, श्री आरिफ मोहम्मद खां द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को बिहार विधान मंडल के सेन्ट्रल हॉल में दिनांक 28 फरवरी, 2025 को सम्बोधित किया गया । श्री अरूण शंकर प्रसाद, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा श्री बिजय सिंह, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा अनुमोदन किया गया । धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर दिनांक 03 एवं 04 मार्च, 2025 को वाद-विवाद हुआ तथा प्रस्ताव पारित किया गया ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 28 फरवरी, 2025 को माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्नांकित पांच (05) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक

(1). बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2024

(2) बिहार खेल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

(3) बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024

(4) बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाल विधेयक, 2024

(5) बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024

वित्तीय कार्य

दिनांक 03 मार्च, 2025 को वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आय-व्ययक उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 05 एवं 06 मार्च, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर हुआ । वित्तीय वर्ष 2025-2026 में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर 08 दिनों तक वाद-विवाद चला । सभी प्राप्त कटौती प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया तथा अनुदानों की मांग पारित हुआ एवं शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ । तत्संबंधी बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2025 दिनांक 24 मार्च, 2025 को पारित हुआ ।

दिनांक 06 मार्च, 2025 को वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया । दिनांक 10 मार्च, 2025 को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात् सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग विधेयक, 2025 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
2. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के तहत् जी०एस०टी०एन० का वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

3. जल संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा-45 के आलोक में बिहार कि निर्दिष्ट बाँधों की सुरक्षा स्थिति का वित्तीय वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

4. समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना का वित्तीय वर्ष 2022-2023 एवं 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

5. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2017 एवं पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2020 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

6. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबन्धन संवर्ग नियमावली, 2021 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

7. परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-31(3) के तहत अधिसूचना सं०-9185, दिनांक-20.07.2024 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

8. परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-212(3) के तहत अधिसूचना सं०-1744, दिनांक-04.03.2021; अधिसूचना सं०-2673, दिनांक-22.04.2021; अधिसूचना सं०-5996, दिनांक- 21.09.2021; अधिसूचना सं०-6336, दिनांक-05.10.2021; अधिसूचना सं०-658, दिनांक-01.02. 2022; अधिसूचना सं०-7997, दिनांक-20.10.2023; अधिसूचना सं०-9965, दिनांक-27.08.2024 एवं अधिसूचना सं०-12371, दिनांक-26.09.2024 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी.।

9. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

10. संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 78(5)(ख), नियम- 172(4) एवं नियम- 176(4) में संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित वर्ष 2024-25 के लिए गठित नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 12.03.2025 को सदन पटल पर रखा गया था । नियमावली के नियम-287(ख) के तहत किसी भी माननीय सदस्य से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव नियमावली के नियम-288 के परन्तुक के अन्तर्गत संशोधन के प्रस्ताव को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में अंगीकार करने का उपबंध किया जाय'' ।

11. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत् बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

12. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत् बिहार राज्य जैव-विविधता पर्षद से संबंधित वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

13. गृह विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार अग्निशमन अधिनियम, 2014 की धारा-64 के तहत बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 एवं बिहार अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

14. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार अभिलेखीय संवर्ग नियमावली, 2012; बिहार राज्य अभिलेखागार रेप्रोग्राफिस्ट (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014; बिहार राज्य अभिलेखागार समूह 'ख' (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014; बिहार राज्य अभिलेखागार समूह 'ग' (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त)

नियमावली, 2014; बिहार राज्य अभिलेखागार अभिलेख निदेशक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2015 एवं बिहार राज्य अभिलेखागार अभिलेखवाह/ अभिलेख लिपिक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2015 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

15. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022; राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक (तकनीकी) नियमावली, 2023 एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) संवर्ग नियमावली, 2023 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

16. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार नगरपालिका सेवा नियमावली, 2021 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

17. सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य भंडार निगम के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

18. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के परिणाम बजट; बाल कल्याण बजट; जेन्डर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

19. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखा का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

20. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सम्राट चौधरी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के प्रतिवेदन ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल'' एवं 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को माननीय राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखी गयी ।

21. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के प्रतिवेदन ''निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल'' एवं 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

22. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के आलोक में राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

23. वणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत् अधिसूचना सं० एस०ओ०-50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 एवं 57, दिनांक-16.01.2025 तथा एस०ओ०-500, 501, 502, 503, 504, 505 एवं 506 दिनांक-13.12.2024 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

24. स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली, 2024; बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2024 एवं बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2025 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

25. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014; बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त)(संशोधन) नियमावली, 2024; बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग नियमावली, 2021; बिहार नगरपालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग नियमावली, 2021 एवं बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2021 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

26. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2011; बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2013; बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2023; बिहार अमीन संवर्ग नियमावली-2013; बिहार अमीन संवर्ग (संशोधन)नियमावली-2016 एवं बिहार अमीन संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2025
2. बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2025
3. बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2025
4. बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025

राजकीय संकल्प

दिनांक 25 मार्च, 2025 को संसद द्वारा यथा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का 5वां) ठीक उसी रूप में बिहार राज्य में भी लागू करने के निमित राजकीय संकल्प को सभा द्वारा अंगीकार किया गया ।

याचिका

इस सत्र में कुल 344 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 311 स्वीकृत हुए तथा 33 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 622 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 616 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 06 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 3857 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 2944 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 20 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें से 18 के उत्तर प्राप्त हुये, 2639 तारांकित प्रश्न थे जिनमें से 2400 के उत्तर प्राप्त हुये एवं 285 अतारांकित प्रश्न थे ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 278 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 29 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 227 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया । 05 सूचनायें व्यपगत हुए एवं 17 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में दिनांक-26/03/2025 के लिए कुल 145 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए तथा 144 सूचनाएँ स्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 113 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 13 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये, 08 सूचनाएँ सदन द्वारा अस्वीकृत किये गये तथा 10 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये ।

दिनांक-27/03/2025 के लिए कुल 128 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए, जिनमें से 127 सूचनाएँ स्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 95 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 10 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये, 03 सूचनाएँ सदन द्वारा अस्वीकृत किये गये तथा 19 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये ।

<u>शोक प्रकाश</u>

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय गणेश पासवान, पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय मनोरमा सिंह, पूर्व सदस्या, लोक सभा
3. स्वर्गीय बैरागी उरांव, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय कृष्णानंद झा, पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय विशुन देव राय, पूर्व स०वि०प०
6. स्वर्गीय प्रमोद कुमार सिंह, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह, पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय तेज नारायण यादव, पूर्व स०वि०स०
9. स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल, पूर्व स०वि०प०
10. स्वर्गीय मिथिलेश प्रसाद यादव, पूर्व स०वि०स०
11. स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान, पूर्व स०वि०स०
12. स्वर्गीय उदय कांत चौधरी, पूर्व स०वि०प०
13. स्वर्गीय चितरंजन कुमार, पूर्व स०वि०स०

दिनांक 27 मार्च, 2025 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी । जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

सेवा में,

....

....

....

(ख्याति सिंह)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।